



कार्यालय: राँची नगर निगम

(बाजार शाखा)

कचहरी रोड, राँची, पिन नं०-834001

E-mail ID- support@ranchimunicipal.com

पत्रांक:- 516/..... /

दिनांक:- 02.03.2020

अति अल्पकालीन बन्दोबस्ती की सूचना

कार्यालय पत्रांक 516 दिनांक 02.03.2020 के द्वारा राँची नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न बाजार/हाट तथा बस/ट्रेकर/ऑटो स्टैण्ड के लिए निविदा आमंत्रित की गई थी, जो कि Covid-19 महामारी के कारण अगले आदेश तक स्थगित कर दी गई थी।

अतः दिनांक 01.07.2020 से 30.06.2021 तक के लिए राँची नगर निगम नियंत्रणाधीन बाजार/हाट तथा बस/ट्रेकर/ऑटो स्टैण्ड की बन्दोबस्ती खुली डाक के माध्यम से करने हेतु पुनः निविदा आमंत्रित की जा रही है। बन्दोबस्ती अधिकतम बोली गयी डाक के आधार पर होगी। इस बन्दोबस्ती में निबंधित संस्था/समिति/प्रतिष्ठान एवं अच्छे आचरण वाले व्यक्ति भाग ले सकते हैं।

स्टैण्ड एवं बाजारों की सूची, सुरक्षित राशि, जमानत की राशि एवं डाक की तिथि निम्नवत है :-

| क्र० सं० | स्टैण्ड/बाजार स्थलों का नाम | वर्ष 2020-21 के लिए निर्धारित सुरक्षित | जमानत की राशि (सुरक्षित राशि का 25%) |
|----------|---|--|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | बिरसा बस स्टैण्ड, खादगढ़ा, कांटा टोली, राँची। | 22000000 | 5500000 |
| 2 | आई0टी0आई0 बस स्टैण्ड, इटकी रोड, राँची। | 7344667 | 1836167 |
| 3 | रामगढ़ ट्रेकर स्टैण्ड, राँची। | 594244 | 148561 |
| 4 | रातु रोड न्यू मार्केट टेम्पू स्टैण्ड | 2546675 | 636669 |
| 5 | चाँदनी चौक, कांके रोड में बस पड़ाव | 141500 | 35375 |
| 6 | संत जेवियर कॉलेज के सामने (वेंडिंग जोन छोड़कर) टेम्पू स्टैण्ड | 409017 | 102254 |
| 7 | मोराबादी बाजार | 660000 | 165000 |
| 8 | अपर बाजार (बड़ा बाजार) | 313183 | 78296 |
| 9 | बहु बाजार | 440067 | 110017 |
| 10 | एस0के0 सहाय डेली मार्केट बाजार | 1158800 | 289700 |
| 11 | गुदड़ी बाजार | 80500 | 20125 |

उपरोक्त स्टैण्ड/बाजार की बन्दोबस्ती हेतु निम्न प्रकार से तिथि निर्धारित की गई है :-

| | निविदा प्राप्त करने की तिथि | निविदा निष्पादन की तिथि |
|--|---------------------------------------|------------------------------------|
| 01 क्रम सं०- 01, 02, 03, 04, 05, एवं 06 हेतु | दिनांक 16.06.2020 अपराह्न 1.00 बजे तक | दिनांक 16.06.2020 अपराह्न 3.00 बजे |





निविदा प्राप्त करने
की तिथि

निविदा निष्पादन की
तिथि

| | | | |
|----|---|---|---------------------------------------|
| 02 | क्रम सं०- 07, 08, - 09, 10 एवं 11 हेतु | दिनांक 17.06.2020 अपराह्न 1.00 बजे तक | दिनांक 17.06.2020 अपराह्न 3.00 बजे |
| 03 | आवेदन प्रपत्र का मुल्य | - | 500/-रु० |

नोट:- पूर्व में निगम से लिये गये आवेदन पत्र मान्य होंगे एवं वैसे निविदादाता जिन्होंने आवेदन पत्र नहीं लिया है वे दिनांक 10.06.2020 से 13.06.2020 तक किसी भी कार्य दिवस में निगम कार्यालय से अपराह्न 02.00 बजे तक आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं।

बन्दोबस्ती के नियम एवं शर्तें निगम वेब-साईट www.ranchimunicipal.com पर एवं कार्यालय नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित है। अधिक जानकारी के लिए किसी भी कार्य दिवस में बाजार शाखा से सम्पर्क किया जा सकता है।

उप नगर आयुक्त
राँची नगर निगम, राँची।

कार्यालय राँची नगर निगम, राँची।

सब्जी बाजार/स्टैण्ड के लिए बन्दोबस्ती की शर्तें।

1. बन्दोबस्ती की अवधि एक वर्ष तक के लिये होगी।
2. संबंधित बाजारों/स्टैण्ड आदि के सामने अंकित जमानत की राशि बैंक ड्राफ्ट द्वारा नगर आयुक्त, राँची नगर निगम, राँची के नाम से निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. जिन प्रतिष्ठानों/संस्थानों/व्यक्तियों के पास निगम की राशि बकाया होगी, वे निविदा में भाग नहीं ले सकते हैं। अगर ऐसे किसी बकायेदार द्वारा निविदा डाली जाती है, तो उनके आवेदन को अस्वीकृत करते हुये जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।
4. निविदा/बन्दोबस्ती प्रक्रिया के निष्पादनोपरान्त सर्वप्रथम संबंधित सफल निविदादाता को कार्य आवंटन संबंधी L.O.A निर्गत किया जायेगा।
5. इसके पश्चात् नियमानुसार असफल निविदादाता की जमानत राशि (बैंक ड्राफ्ट मूल रूप में) उनसे अनुरोध प्राप्त होने पर लौटायी जायेगी।
6. पार्किंग, बाजार/हाट बन्दोबस्ती के मामले में डाक के निष्पादनोपरान्त डाक बोली की राशि निम्न प्रकार से जमा की जायेगी।

| क्रमांक | राशि | निर्धारित समय |
|---------|-------------------|---|
| (i) | 10 लाख रु० तक | - 100% 24 घण्टे के अंदर |
| (ii) | 10 लाख रु० से उपर | - 70% राशि 24 घंटे के अंदर एवं शेष 30% राशि वित्तीय वर्ष के 31 जनवरी तक जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा 31 जनवरी के पश्चात् निविदा की अवधि स्वतः समाप्त समझी जाएगी। |


नोट: बन्दोबस्त राशि का भुगतान **Demand Draft / RTGS** के माध्यम से करना होगा।

7. बन्दोबस्त राशि के विरुद्ध निर्धारित GST एवं TCS की अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी तथा आवंटन के उपरान्त निगम कार्यालय में GST No. देना अनिवार्य होगा। अगर किसी बन्दोबस्तधारी का GST निबंधन नहीं किया गया हो तो उन्हें शपथ पत्र निगम कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
8. L.O.A निर्गत होने की तिथि से 07 (सात) दिनों के अन्दर एकरारनामा करना अनिवार्य होगा। यदि परिस्थिति जन्य, इसमें अवधि विस्तारित करने की आवश्यकता होगी, तो इसके लिये अधोहस्ताक्षरी से विशेष आदेश प्राप्त करने के उपरान्त ही एकरारनामा किये जायेंगे।
9. एकरारनामा का निबंधन अपने खर्च पर करवाना होगा। एकरारनामा निबंधन के पश्चात ही महसूल वसूली के लिये प्राधिकार पत्र निर्गत किया जायेगा।
10. निर्धारित शर्त के उल्लंघन या बिना किसी वैध कारण के राशि जमा करने में विलम्ब करने करने पर एकरारनामा रद्द किया जा सकता है एवं अन्य विपरीत परिस्थिति यथा- विधि व्यवस्था या जनहित के मुद्दे आने पर एकरारनामा रद्द एवं जमानत की राशि जब्त करके पुनः निविदा आमंत्रित करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।
11. द्वितीय किस्त वसूली के लिये कोई भी नोटिस अलग से कार्यालय द्वारा निर्गत नहीं भी किया जा सकता है, बल्कि शर्त में जो तिथि निर्धारित की गई है, उस तिथि का अनुपालन करना संबंधित बन्दोबस्तधारी की जिम्मेवारी होगी।

12. महसूल (टॉल टैक्स) वसूली निगम द्वारा निर्धारित दर पर करना होगा एवं निर्धारित दर के अनुसार संबंधित व्यक्तियों को प्राप्ति रसीद उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। एतद् संबंधी सूचना पट्ट पड़ाव स्थल पर प्रतिष्ठानों/संस्थानों/व्यक्तियों को अपने खर्च से लगाना होगा।
13. पड़ाव स्थल से दुकानों या भेण्डर से महसूल वसूली का अधिकार सिर्फ रांची नगर निगम का होगा।
14. बिरसा बस स्टैण्ड में बसों को व्यवस्थित रूप से लगवाना होगा एवं बसों का आवगमन हेतु यातायात व्यवस्थित करने के लिए कम से कम बारह (12) स्वच्छ छवि के कर्मी रखने होंगे एवं ITI बस स्टैण्ड में बसों को व्यवस्थित रूप से लगवाना होगा एवं बसों के आवगमन हेतु यातायात व्यवस्थित करने के लिये कम से कम 04 स्वच्छ छवि के कर्मी रखने होंगे जो कि शिफ्ट वार में कार्य करेंगे तथा संवेदक के द्वारा उन्हें पहचान पत्र दिया जाएगा। सभी कर्मी ड्रेस में होंगे, जिसका रंग एवं प्रकार निगम के द्वारा तय किया जायेगा। बस पड़ाव में खाली बसे निर्धारित स्थान पर ही लगेगी। इस निमित्त बस स्टैण्ड प्रबंधक-सह-नगर प्रबंधक, बाजार शाखा के द्वारा इस संबंध में दिये गये निदेश बाध्यकारी होंगे। साथ ही निगम के उच्च पदाधिकारियों के द्वारा समय-समय पर यातायात व्यवस्थित करने के संबंध में दिये गये निदेशों का अनुपालन करना होगा। बन्दोबस्तधारी को उनके स्तर से नियुक्त कर्मियों की सूची, उनकी मासिक उपस्थिति एवं उनको भुगतान किये जाने वाले पारिश्रमिक एवं PF कटौति का दस्तावेज हर माह के अंत तक स्वास्थ्य शाखा को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
निर्देश का अनुपालन नहीं करने पर बन्दोबस्ती रद्द करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित होगा।
15. बस स्टैण्ड की बन्दोबस्ती राशि के अतिरिक्त बिरसा बस स्टैण्ड एवं ITI बस स्टैण्ड के लिये एक लाख रु० Performance Security के रूप में जमा करना होगा एवं शेष बस/टैम्पू स्टैण्ड के लिये 25000/- रु० Performance Security के रूप में जमा करना होगा।
16. बस स्टैण्ड परिसर में अवैध Vendor (यथा ठेला, खोमचा, गुमटी आदि) पाये जानें पर प्रत्येक दिन के लिए 2,000/-रु० एवं अधिकतम 25,000/-रु० अर्थदण्ड बन्दोबस्तधारी के विरुद्ध आरोपित किया जायेगा एवं यह राशि जमा की गयी Performance Security की राशि से समायोजित कर ली जायेगी। Performance Security की राशि से समायोजित कर जी जायेगी। Performance Security की राशि समाप्त होने पर राशि पुनः जमा करनी होगी। वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् इस मद में शेष राशि संवेदक को वापस कर दी जायेगी।
17. देख-रेख एवं सुरक्षा के लिए कर्मी नियुक्त नहीं करने की स्थिति में 2,000/-रु० प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा एवं इस राशि को Performance Security की राशि से समायोजित कर लिया जायेगा।
18. आवेदन पत्र के साथ जमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट/चल-अचल संपत्ति का ब्योरा/संबंधित थाना से अभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज का दो फोटो/जिला प्रशासन से निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र एवं सक्षम पदाधिकारी से निर्गत निवास प्रमाण पत्र एवं आयकर विभाग से निर्गत PAN No. संलग्न करना आवश्यक है।
19. पड़ाव स्थल से वाहनों की चोरी एवं क्षतिग्रस्त होने पर निगम जिम्मेवार नहीं होगी। उसकी जिम्मेवारी बन्दोबस्तधारी की होगी।

20. बन्दोबस्ती स्थल की साफ-सफाई की जिम्मेवारी बन्दोबस्तधारी की होगी। निगम द्वारा निरीक्षण के दौरान यह पाया जायेगा कि बन्दोबस्ती स्थल की सफाई नहीं की जा रही है, तो ऐसी स्थिति में झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 259 के तहत प्रतिदिन 500/- रु० न्यूनतम अर्थदण्ड लिया जा सकता है एवं सफाई स्थल के साफ-सफाई में आने वाले खर्च अलग से वसूल किये जायेंगे। निगम द्वारा लगाये गये अर्थदण्ड एवं सफाई करने में हुये खर्च की वसूली बन्दोबस्तीधारी के द्वारा दिये गये जमानत की राशि से वसूल की जायेगी।
21. बिरसा बस स्टैण्ड के साफ-सफाई हेतु 10 (दस) स्वच्छ छवि के सफाई कर्मी एवं ITI बस स्टैण्ड की साफ-सफाई के लिये 5 (पाँच) सफाई कर्मी की सूची बस स्टैण्ड प्रबंधक एवं नगर प्रबंधक बाजार शाखा, बिरसा मुण्डा बस स्टैण्ड को उपलब्ध कराना होगा। सफाई व्यवस्था का पर्यवेक्षण भविष्य में Mobile App एवं भौतिक सत्यापन द्वारा किया जाएगा। Mobile App बनाने का खर्च बन्दोबस्तधारी को स्वयं वहन करना होगा।
22. अधिसूचना संख्या 06/ ए0/ न0वि0/ एस0बी0एम0/ यूजर चार्ज 02/2015/470 दिनांक 15.03.2016 के आदेशानुसार सब्जी बाजार के संवेदकों को प्रत्येक सब्जी विक्रेता से प्रतिदिन 7/- रु0 के दर से सफाई शुल्क वसूल कर कार्यालय में जमा करना होगा।
23. किसी भी निविदा को वगैर कोई कारण बतायें रद्द करने का अधिकार अथवा Negotiation करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

नोट:- मुहरबन्द लिफाफा निविदा समिति एवं निविदाताओं/निविदादाता द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति की उपस्थिति में खोली जायेगी एवं आवेदक के द्वारा अधिकृत व्यक्ति ही डाक में भाग ले सकते हैं। यदि निविदादाता के द्वारा अथवा उनके प्रतिनिधि के द्वारा ससमय निविदा खोलने के समय उपस्थिति दर्ज नहीं करायी जाती है तो अनुपस्थिति में ही निविदा निष्पादन की प्रक्रिया पूर्ण करने के लिये निगम स्वतंत्र होगा।


उप नगर आयुक्त,
रांची नगर निगम, रांची।